



१९९१

दूरभाष— 2286709

2286710

नव चैतन्य केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-220001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1074 / 05/76/एक / 2015-16

दिनांक : 16 जून 2015

सेवा में

ज़िला एधिकारी/अध्यक्ष,

ज़िला नगरीय विकास अभिकरण

जनपद-फरुखाबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूडा) को अत्यसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इंटरलांकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निनलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	1934002100114837	IFSC Code PUNB0193400	₹ 212.51
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	फरुखाबाद	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	मोहल्ला तलैया साहब जादगान वार्ड नं० 30 में रहीस के मकान से रशीद के मकान से लिक हसीन के मकान से पिन्टू घड़ी वाले के मकान तक नाली एवं इंटरलांकिंग सङ्क निर्माण कार्य।	7.303
2	फरुखाबाद	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	वार्ड नं० 15 रकाबगंज में ए०पी०सिंह के मकान से सेवाराम के मकान तक नाली एवं इंटरलांकिंग सङ्क निर्माण कार्य।	4.660
3	फरुखाबाद	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	बजरिया चौकी के सामने मो०तकिया नसरतशाह आमोद कुमार शुक्ला के से रमेश ठेकेदार के मकान तक नाली एवं इंटरलांकिंग सङ्क निर्माण कार्य।	1.706
4	फरुखाबाद	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	मोहल्ला अमीन खाँ वार्ड नं० 14 महेशचन्द्र राजपूत के मकान से रामू शाक्य के मकान तक नाली एवं इंटरलांकिंग सङ्क निर्माण कार्य।	5.621
5	फरुखाबाद	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	मो०जाफरी में कल्लू फकीर के मकान से रामदीन कठेरिया के मकान तक नाली एवं इंटरलांकिंग सङ्क निर्माण कार्य।	0.745
6	फरुखाबाद	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	वार्ड नं० 15 रकाबगंज में गजराज के मकान से वासुदेव के मकान तक नाली एवं इंटरलांकिंग सङ्क निर्माण कार्य।	6.021
7	फरुखाबाद	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	मो०मछली टोला फतेहगढ़ में ग्रीष्मबाबू के मकान से खलील के मकान होते हुये जीनत टेलर्स की दुकान तक नाली एवं इंटरलांकिंग सङ्क निर्माण कार्य।	10.914
8	फरुखाबाद	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	मो०मछली टोला फतेहगढ़ अखर अब्बास के मकान से को०को०दीक्षित के मकान होते हुये नन्हेंपाल के मकान तक नाली एवं इंटरलांकिंग सङ्क निर्माण कार्य।	9.104
9	फरुखाबाद	अत्यसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	मो०मछली टोला फतेहगढ़ में मंजू अब्बासी के मकान से इस्लाम की दुकान होते हुये विकास मिश्रा के मकान तक नाली एवं इंटरलांकिंग सङ्क निर्माण कार्य।	10.914



१११२

दूसरा- 2286709

2286710

नव चैतन्य केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

क्र. सं	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मतिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किसानी की धनराशि का प्रेषण
10	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	मो० बजरिया हाथापीर अली में महेन्द्र के खेत से दरगाह तक नाली एवं इण्टरलांकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	21.516
11	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	मो० तलैया साहब जादगान में आसिफ के मकान से नाले एवं शकील कुरैशी के मकान से नाले तक नाली एवं इण्टरलांकिंग सड़क निर्माण कार्य।	2.931
12	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	मो० गुलिस्ता कालोनी फतेहगढ़ में मैन रोड से रफीक के मकान होते हुये गुड़दू के मकान से नूरे के मकान तक नाली एवं इण्टरलांकिंग सड़क निर्माण कार्य।	5.461
13	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	मो० जटवारा जदीद वार्ड न० 33 राजू के प्लाट से सुभाष के मकान तक व रामचन्द्र के मकान से सुरेन्द्र यादव के मकान तक नाली एवं इण्टरलांकिंग सड़क निर्माण कार्य।	5.533
14	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	मो० गढ़ीजान अली भीकमपुर में रामचन्द्र उर्फ कलकटर पपड़ी वाले के मकान से श्यामसिंह छापा वाले के मकान तक नाली एवं इण्टरलांकिंग सड़क निर्माण कार्य।	4.540
15	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	वार्ड सं० 24 मो० मेमरान टैगोर कालोनी फरुखाबाद में राजीव शाक्य के मकान से रनवीर सिंह के मकान होते हुये गोविन्द सिंह के मकान तक एवं लिंक गलियों में नाली एवं इण्टरलांकिंग सड़क निर्माण कार्य।	7.303
16	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	मो० इस्माइलगंज में श्रीदयाल के मकान से फकीरेलाल के मकान तक नाली एवं इण्टरलांकिंग सड़क निर्माण कार्य।	6.294
17	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	मो० नई बस्ती असगररोड में अनूप से चांद के मकान तक नाली एवं इण्टरलांकिंग सड़क निर्माण कार्य।	9.377
18	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	मो० नबाव न्यामत खाँ में य०लाईक टेलर्स से सुमित्रा महाजन वाया ओमप्रकाश डीगरा तक नाली एवं इण्टरलांकिंग सड़क निर्माण कार्य।	10.522
19	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	मो० इस्माइलगंज में राकेश मुस्कीम के मकान से नबाव हुसैन यूनुस एवं शंकर मन्दिर तक नाली एवं इण्टरलांकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.522
20	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फरुखाबाद	नई बस्ती असगररोड में अली मोहम्मद से बाबा सज्जी वाले तक एवं हसीन खाँ फौजी वाया शौकत चांद मिया व प्यारे मियाँ तक नाली एवं इण्टरलांकिंग सड़क निर्माण कार्य।	18.673
21	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा० शमसाबाद	मो० चौखण्डा में खिलाड़ी मास्टर साहब के घर से रामनाथ की पुलिया तक नाली एवं इण्टरलांकिंग सड़क निर्माण कार्य।	10.522
22	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा० शमसाबाद	मो० बजरिया में दिल्लू के चौराहे से चौमुख महादेव मन्दिर तक नाली एवं इण्टरलांकिंग सड़क निर्माण कार्य।	22.244
23	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा० शमसाबाद	मो० शेरवानी टोला में पुलिया से कोटला तिराहे तक नाली एवं इण्टरलांकिंग सड़क निर्माण कार्य।	12.227
24	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा० शमसाबाद	मो० राजोटोला में नवी के मकान से चौराहे तक नाली एवं इण्टरलांकिंग सड़क निर्माण कार्य।	6.166
25	फरुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा० शमसाबाद	मो० राजोटोला में मस्जिद से महरोज के घर तक नाली एवं इण्टरलांकिंग सड़क निर्माण कार्य।	3.691
	योग				( 212.51 )



(४७८)

दूरधारा- 2286709

2286710

नव बेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यव शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा दुण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये—

- 1— उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकआप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनाये गए कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनाप्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यव वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख—रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015—16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि दुड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवहरण अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टर्ज की धनराशि एवं प्रथम किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा
4. कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग—सूडा।

भवदीय,  
  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक